अनुदान संख्या 71 – कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
GRANT No. 71–MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*8,27,00*	*12,90,00*	*11,87,12*	*–1,02,88*
पूरक	*Supplementary*	*4,63,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*86,97*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	378,72,00	521,27,00	416,50,03	–104,76,97
पूरक	Supplementary	142,55,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				92,52,49
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*9,00,00*	*9,00,00*	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	47,01,00	47,02,00	45,45,72	–1,56,28
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,29,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*102.88 लाख रु.*) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए *463.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* का 22 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 8 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings *(Rs.102.88 lakhs)* constituted 22 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.463.00 lakhs* obtained in October, 2008 and February, 2009 and 8 percent of the total sanctioned *appropriation.*

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Saving occurred under the following major head:-

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	*O.*	*819.00*			
पू.	*S.*	*463.00*	*1195.03*	*1180.05*	*–14.98*
पु.	*R.*	*–86.97*			

(I) "सतर्कता - केंद्रीय सतर्कता आयोग" के अंतर्गत *819.00 लाख रु.* के मूल प्रावधान को *463.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *1282.00 लाख रु.* कर दिया गया तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और आयोग को भूमि के संपत्ति अधिकार की वजह से कर निर्धारण की कम राशि होने के कारण *101.95 लाख रु.* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Vigilance – Central Vigilance Commission" – the original provision of *Rs.819.00 lakhs* was augmented to *Rs.1282.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.463.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.101.95 lakhs* – due to non-filling up of vacant posts and less amount of tax assessed owing to land appurtenant to the Commission.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत *अंश* में, कुल बचतें (10476.97 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 14255.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 73 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.10476.97 lakhs) constituted 73 percent of the supplementary grants of Rs.14255.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 20 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	7281.00			
पू.	S.	1888.00	6900.01	6455.29	–444.72
पु.	R.	–2268.99			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2014" न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice				
मू.	O.	2784.00			
पू.	S.	1804.00	4408.39	4365.17	–43.22
पु.	R.	–179.61			
मुख्य शीर्ष "2051" लोक सेवा आयोग	Major Head "2051" Public Service Commission				
मू.	O.	3208.00			
	S.	773.00	3196.00	3082.12	–113.88
पु.	R.	–785.00			
मुख्य शीर्ष "2055" पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	14054.00			
पू.	S	8595.00	18750.85	18491.82	–259.03
पु.	R.	–3898.15			
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	10545.00			
पू.	S	1195.00	9619.26	9255.63	–363.63
पु.	R.	–2120.74			

(I) 1.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय - 7238.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1868.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त

(I) Provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2052" – "Secretariat – Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions" – the original provision of Rs.7238.00

करके बढ़ाकर 9106.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 2715.01 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) केंद्रीय सेवा अधिकारी संस्थान भवन के निर्माण कार्य पर अदालत द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने, रिक्त पदों के भरे न जाने, राज्य सरकारों से सूचना प्रौद्योगिकी सम्मत बनाने और सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचार संबंधी कम प्रस्ताव प्राप्त होने, उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2051" - "कर्मचारी चयन आयोग - स्थापना" - 3190.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 761.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3951.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 893.88 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, दो परीक्षाएं रद्द होने, परीक्षा/चयन में कम संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(गा) मुख्य शीर्ष "2055" - "आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता - इन्टरपोल और समन्वय स्कंध" - 358.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बध़कर 458.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 111.26 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(घा) मुख्य शीर्ष "2070" -

(क) "प्रशिक्षण - सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान" - 1151.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 330.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1481.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 391.36 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सीधी भर्ती सहायकों के कम संख्या में शामिल होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

lakhs was augmented to Rs.9106.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1868.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.2715.01 lakhs (including supplementary grant) - due to Court stay order on the constructions work of the Central Service Officers Institute (CSOI) building, non-filling up of vacant posts, receipt of less proposals from State Governments for information technology enablement and propagation of Right to Information (RTI) Act., non-receipt of utilisation certificates and economy measures.

(B) Major Head "2051" – "Staff Selection Commission – Establishment" – the original provision of Rs.3190.00 lakhs was augmented to Rs.3951.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.761.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.893.88 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, cancellation of two examinations, lesser number of candidates appeared in examinations/selections and economy measures.

(C) Major Head "2055" – "Criminal Investigation and Vigilance – Interpol and Co-ordination Wing" – the original provision of Rs.358.00 lakhs was augmented to Rs.458.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.111.26 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(D) Major Head "2070" -

(a) "Training - Institute of Secretariat Training and Management" - the original provision of Rs.1151.00 lakhs was augmented to Rs.1481.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.330.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.391.36 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, lesser number of direct recruit Assistants joined for mandatory training programme and economy measures.

(ख) ''अन्य व्यय - केंद्रीय सूचना आयोग'' - 840.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 170.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1010.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 190.97 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने और आवास और शहरी विकास निगम के साथ पट्टा करार को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और योजना स्कीमों के दो संघटकों के लिए अनुमोदन प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2014'' - ''केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण - स्थापना'' - 2784.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1804.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4588.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के भत्तों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण 222.83 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2055''

(क) ''आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो'' - 13641.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 8455.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 22096.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन मूल विभाग को किए जाने, विदेश मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, एयरलाइन्स कार्यालयों से दावे प्राप्त न होने और नई दिल्ली नगर पालिका को यशवंत प्लेस कार्यालय के लिए किराए की बकाया राशि जारी न किए जाने के कारण 4035.19 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Other Expenditure - Central Information Commission" - the original provision of Rs.840.00 lakhs was augmented to Rs.1010.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.170.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.190.97 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, delay in finalization of lease agreement with the Housing and Urban Development Corporation and non-receipt of approval for two components of the Plan Schemes.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2014" – "Central Administrative Tribunals – Establishment" - the original provision of Rs.2784.00 lakhs was augmented to Rs.4588.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1804.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.222.83 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and delay in finalization of allowances of the Chairman, vice-Chairman and Members of Central Administrative Tribunals.

(B) Major Head "2055" –

(a) "Criminal Investigation and Vigilance – Central Bureau of Investigation" - the original provision of Rs.13641.00 lakhs was augmented to Rs.22096.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.8455.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.4035.19 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, repatriation of officials to parent department, non-receipt of claims from Ministry of External Affairs, Railway Board, Airlines Offices and non-release of rental arrears to New Delhi Municipal Council for the Yashwant Place office.

(ख) ''अन्य व्यय - विभागीय कैंटीन'' - 55.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 40.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बध़कर 95.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण 10.73 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2070'' -

(क) ''प्रशिक्षण - लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी'' - 997.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 465.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1462.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 204.87 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''अन्य व्यय - सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड'' - 82.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 230.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 312.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण 179.77 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''प्रशिक्षण'' के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुई:-

(का) ''भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान'' - 357.69 लाख रु. की बचत (657.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावित नए कार्यकलापों के शुरू किए जाने में विलंब होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य प्रशिक्षण स्कीमें'' - 273.32 लाख रु. की बचत (4916.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश में प्रशिक्षण के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''सूचना की पहुंच के लिए क्षमता निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना'' - 111.06 लाख

(b) "Other Expenditure – Departmental Canteens" - the original provision of Rs.55.00 lakhs was augmented to Rs.95.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.40.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.10.73 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(C) Major Head "2070" -

(a) "Training – Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration" – the original provision of Rs.997.00 lakhs was augmented to Rs.1462.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.465.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.204.87 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(b) "Other Expenditure - Public Enterprises Selection Board" – the original provision of Rs.82.00 lakhs was augmented to Rs.312.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.230.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.179.77 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(IV) Under Major Head "2070" – "Training" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Grant to Indian Institute of Public Administration" - saving of Rs.357.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.657.50 lakhs) was due to delay in commencement of the proposed new activities and economy measures.

(B) "Other Training Schemes" – saving of Rs.273.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4916.50 lakhs) was due to requirement of less funds towards foreign training and economy measures.

(C) "UNDP Project for Capacity Building for Access to Information" – saving of Rs.111.06

रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(घा) ''लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में अवसंरचना सुधार और आवश्यक सुविधा का उन्नयन'' - 774.33 लाख रु. की बचत (1100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई योजना स्कीम के शुरू किए जाने में विलंब होने, रिक्त पदों के न भरे जाने और सीमित निविदा जांच के माध्यम से सामान/मशीनरी की अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, अभ्यर्पित राशि (329.00 लाख रु.) 156.28 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from State Administrative Training Institute.

(D) "Improvement of Infrastructure and upgradation of essential facilities at LBSNAA" - saving of Rs.774.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1100.00 lakhs) was due to delay in commencement of new plan scheme, non-filling up of vacant posts and non-procurement of goods/machinery through limited tender enquiry.

3. In the voted portion of the capital section of the grant, the amount surrendered (Rs.329.00 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.156.28 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4055'' पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police				
मू.	O.	2601.00	3200.00	3200.00	. .
पु.	R.	599.00			
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	2100.00	1173.00	1345.72	+172.72
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–928.00			

(I) 500.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - केंद्रीय सूचना आयोग" के अंतर्गत आयोग के अनुसंधान स्कंध के लिए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए स्थल को अंतिम रूप न दिए जाने और कार्यालय भवन की खरीद के प्रस्ताव को बंद किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.500.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4059" – "General - Construction – Central Information Commission" – due to non-finalisation of site for construction of office building and discontinuance of the proposal for purchase of office building for Research Wing of the Commission.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी" के अंतर्गत 326.28 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पहाड़ी क्षेत्र में निर्माण कार्य निष्पादित किए जाने संबंधी कठिनाइयों की वजह से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा न किए जा सकने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059" - "General – Construction - Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration" – saving of Rs.326.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs) was due to inability of Central Public Works Department to complete the work owing to constraints in carrying out the construction work in the hilly terrain.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ने के लिए आंशिक रूप से (72.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - निर्माण - कर्मचारी चयन आयोग के लिए कार्यालय आवास की खरीद" के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 71.00 लाख रु. था।

4.(I) The above savings were partly (Rs.72.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "4059" – "Office Building – Construction – Purchase of Office Accommodations for Staff Selection Commission". Actual excess, however, was Rs.71.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "4055" - "अन्य व्यय - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 599.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2601.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की प्रतिबद्ध देयताओं को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4055" – "Other Expenditure – Central Bureau of Investigation" – excess of Rs.599.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2601.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear committed liabilities towards National Building Construction Corporation.